PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Sun, 11 Jun 2017, Page 1
Width: 11.21 cms, Height: 23.15 cms, a4, Ref: 21.2017-06-11.7

एक जुलाई से पैन और आयकर रिटर्न के लिए आधार अनिवार्य

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने या नया पैन हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को 'आंशिक राहत' दी है, जिनके पास न तो आधार कार्ड है, न ही आधार एनरोलमेंट आईडी। आधार की अनिवार्यता खत्म नहीं की गई है।

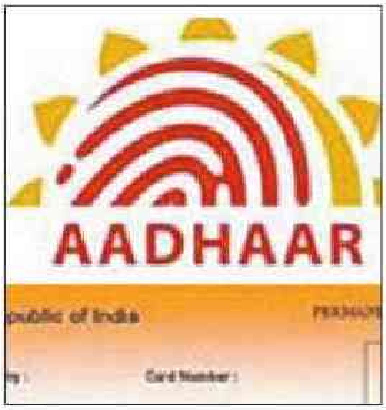

सीबीडीटी ने पैन और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 से आधार हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन के लिए आवेदन के दौरान अपने आधार नंबर या आधार नंबर एनरोलमेंट आईडी का जिक्र करना होगा। जिन लोगों के पास पैन और आधार नंबर हैं उन्हें पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर बताना होगा। एजेंसी